पुलिस सुधारों पर दायर प्रकाश सिंह मामले पर अपडेट

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की ओर से प्रेस विज्ञप्ति

13 मार्च को सर्वोच्च न्यायलय ने प्रकाश सिंह द्वारा निर्देशों का पालन न करने वाले कई राज्यों के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका के बारे में दलीलें सुनीं। न्यायालय के पहले के आदेश के बावजूद, बीस राज्यों ने बृहस्पतिवार की सुनवाई से पहले अपनी अनुपालना रपट न्यायालय को नहीं सौंपी! मौखिक निवेदनों में याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार, तमलिनाडु, उ. प्र. व भारत सरकार की सरकारों कीं आलोचना की जिन्होंने वस्तुतः न्यायालय के किसी भी निर्देश की ठोस पालना नहीं की थी। न्यायालय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि भारत में व्यापक पुलिस सुधारों की ''असाधारण'' जरुरत है तथा उसने भारत व तमिलनाडु सरकार की विशेष रुप से आलोचना की। न्यायपीठ ने साफ–साफ कहा कि निर्देशों का कार्यान्वयन काफी समय पहले हो जाना चाहिए था और उसने भारत सरकार के वकील से कहा कि जब अन्य राज्य निर्देशों पर अमल कर सकते हैं तो भारत सरकार के पास देरी करने का कोई वैध कारण नहीं है।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अपने निर्देशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए एक निगरानी समिति गठित करने का भी निवेदन किया। न्यायपीठ ने इस विचार का स्वागत किया और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाले एक पैनल का प्रस्ताव रखा। न्यायपीठ ने कहा कि यह पैनल राज्यों से विवरण मांग सकेगा और फिर न्यायालय को रपट दे सकेगा। सी एच आर आई को इस मामले में न्यायालय के सामने सामग्री प्रस्तुत करने की औपचारिक स्वीकृति दी गई थी। उसके वकील ने सफलतापूर्वक जिरह की कि सी एच आर आई को भावी निगरानी समिति के सहयोगकर्ता की भूमिका में रखा जाना चाहिए तथा समिति को प्रारुप उपायों तथा औपचारिक रुप से अधिसूचित कानून, दोनों का ही मूल्यांकन करने का व्यापक कार्यादेश दिया जाना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल, 2008 को होगी। तब न्यायालय एक निगरानी समिति के संभावित गठन, उसकी संरचना तथा कार्यादेश के बारे में संबंधित पक्ष के निवेदनों को सुनेगा।

पृष्ठभूमि :

जनवरी 2007 से सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में पांच बार सुनवाई कर चुका है। 11 जनवरी, 2007 को न्यायालय ने राज्यों को 31 मार्च, 2007 तक निर्देशों की पालना करने का आदेश दिया था। इस बारे में न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कई तिथियों के बावजूद कई राज्यों ने या तो निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए और अधिक समय मांगा या फिर निर्देशों के प्रति सख्त आपत्तियां न्यायालय के सम्मुख पेश कीं। 23 अगस्त, 2007 को न्यायालय ने तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उ. प्र. और कर्नाटक द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिकाओं को तर्कसम्मत न

पाते हुए उन्हें खारिज कर दिया। यह हैरानी का विषय है कि सितंबर, 2006 के मूल आदेश के प्रति अपनी स्वीकृति जाहिर करने के बावजूद, भारत सरकार की समीक्षा याचिका अभी तक लंबित है!

आज की तारीख तक केवल मुट्ठी भर राज्यों ने ही न्यायालय के 22 सितंबर, 2006 के निर्देशों की पालना या लगभग संपूर्ण पालना की है। इन राज्यों में अरुणांचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। मूल निर्णय के 18 महीनों बाद भी अधिकांश राज्यों ने निर्देशों की केवल आंशिक पालना ही की है। ज्यादातर राज्य भारत में पुलिस सुधारों को वास्तविक रुप देने के मामले में सुस्ती या अनिच्छा दिखा रहे हैं।

पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के अलावा कुछ राज्यों ने नए पुलिस कानूनों के प्रारुप तैयार किए हैं, लेकिन इसमें नागरिक समाज से किसी भी तरह का विचार–विमर्श नहीं किया गया। परेशानी की बात यह भी है कि इन नए पुलिस अधिनियमों के अनेकों प्रावधान इस हद तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को कमजोर बनाने वाले हैं कि न्यायालय के निर्णय की मूल भावना ही पूरी तरह ओझल हो जाती है। इस बीच जनता अभी भी उस मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 के बारे में कोई समाचार सुनने की इंतजार कर रही है जिसे अक्टूबर 2006 को गृह मंत्रालय को सौंपा गया था। अगर इसे एक अधिनियम का रुप दे दिया गया तो यह उस अप्रासंगिक हो चुके औपनिवेशिक पुलिस अधिनियम, 1861 की जगह लेगा जो अभी भी भारत में पुलिस के कामकाज को संचालित कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

आरिफ विरानी, एक्सेस टू जस्टिस टीम : 9958873071 या arif@humanrightsinitiative.org
और स्वाति कपूर – swatikapoor@humanrightsinitiative.org
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर और अधिक जानकारी निम्न पते पर पाई जा सकती है : http://www.humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/india/initiatives/writ_petition.htm

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (सी एच आर आई) एक स्वतंत्र व निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संग्रठन है जो कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक रुप से साकार करने के लिए कार्यरत है।